

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

आदेश फलक

भूमि विवाद समाधान दिवस

वाद संख्या :- 18/2023

नाम :- कालिदास
पिता :- श. क. दारवट
मौजा :- शारदा

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3
02-08-23	आज दिनांक <u>02-08-23</u> को आवेदक <u>कालिदास</u> पिता- <u>श. क. दारवट</u>, ग्राम- <u>शारदा</u> के द्वारा मौजा <u>शारदा</u> थाना सं- <u>154</u> खाता सं- <u>1413</u>, प्लॉट सं- <u>40</u> <u>132</u> <u>69</u> रकबा- <u>0.51</u> किस्म जमीन में विवाद के संबंध में <u>भूमि विवाद समाधान दिवस</u> आवेदन किया गया है अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक <u>16-08-2023</u> तक करें। अभिलेख दिनांक- <u>16-08-2023</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी तांतनगर।	
16-08-2023	<u>अभिलेख उपस्थापित</u> ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन और अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ बिना जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा- <u>शारदा</u>, थाना सं- <u>154</u>, खाता सं- <u>132</u> <u>69</u>	

सिंग-69, अक्षा-0.51 यह क्षेत्र को लेकर विवाद है।

ग्रामीण मुख्या, राजस्व उपनिरीक्षक और
अंचल निरीक्षक के बीच प्रतिवेदन का अस्तित्व किया
गया। इस के आदेश में दिनांक-16-08-2023 को
क्षेत्रीय पक्ष की अनुपस्थिति में पुनः 22-08-2023
को उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

अतिरिक्त दिनांक-22-08-2023 को
उपस्थापित करें।

अतिरिक्त उपस्थापित

अंचल अधिकारी
तांतनगर

22/08/2023

दिनांक-22/08/2023 को ग्रामीण मुख्या एवं
प्रथम पक्ष उपस्थित हुए। क्षेत्रीय पक्ष के द्वारा
पुनः सुनावण पर भी अनुपस्थिति दर्ज हुई। क्षेत्रीय पक्ष
की बार-बार सुनावण पर भी उपस्थिति उपस्थिति
दर्ज नहीं की गई।

इस के आदेश में उच्च न्यायालय
कोर्ट द्वारा अक्षय न्यायालय में जाने का आदेश दिया
गया एवं निवेदन समाप्त किया गया।

अंचल अधिकारी
तांतनगर